पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025 के लिए विभागीय भरती नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	**पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग हेतु भरती परीक्षा-2025 के लिए विभागीय भरती नियम** एवं आरक्षण तालिका	**04-34**
2.	2	म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**35-50**
3	3	पाठ्यक्रम	**23-27**
3	प्रारूप-1	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	**53**
4	प्रारूप-2	अन्य प्रमाण पत्र	**54-58**

12/11/25

12/11/25

नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 23 से 27 में उल्लेखानुसार परीक्षा का पाठयक्रम निम्नानुसार है:-

प्रथम चरण - प्रारंभिक लिखित परीक्षा

(क) प्रारंभिक परीक्षा, प्रथम चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी. **प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी.** निम्नलिखित विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे:

(एक) हिंदी भाषायी बोध;
(दो) अंग्रेजी भाषायी बोध;
(तीन) विश्लेषणात्मक क्षमता;
(चार) इतिहास;
(पाँच) भूगोल;
(छः) विज्ञान;
(सात) नागरिक शास्त्र;
(आठ) बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान;
(नौ) तर्कशक्ति;
(दस) करेंट अफ़ेयर्स

प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है.

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए Percentile के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी जिसमें वर्टिकल आरक्षण श्रेणी अनारक्षित (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से दस गुना अधिक - अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. त्रुटिरहित प्रावीण्य सूची में किसी भी वर्टिकल आरक्षण श्रेणी के कट-ऑफ Percentile अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ़ Percentile से सदैव कम होंगे.

अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक दस गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर Percentile अभिप्राप्त किए हो, नियत की दस गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा.

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ़ Percentile केवल प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी UR/OBC/ST/SC/EWS के लिए जारी किए जाएँगे. हॉरिज़ॉटल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक कट-ऑफ़ Percentile नहीं होंगे.

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की घोषणा होने पर प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की एक हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ाइल समिति के पास रखी जाएगी.

द्वितीय चरण –मुख्य परीक्षा

(क) प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद :-

(तीन) मुख्य परीक्षा दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी (जैसा कि अनुसूची चार क में विनिर्दिष्ट है);

(चार) प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसकी अवधि दो घंटे की होगी.

(ख) द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

मुख्य परीक्षा

(i). प्रश्न पत्र योजना

प्रश्न पत्र प्रथम -

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक: 300

खण्ड : दो

प्रत्येक खण्ड (150 अंक प्रत्येक) के लिए :

i. प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

प्रश्न पत्र द्वितीय -

समय : दो घण्टे

अधिकतम अंक : 300

खण्ड : दो

खण्ड 'क': (150 अंक) के लिए :

i. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
ii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
iii. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।

खण्ड 'ख': (150 अंक) के लिए :

i. तर्कशक्ति और डाटा निर्वचन
ii. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे.
iii. ग़लत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दिए जाएँगे.
iv. जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएँगे।
v. कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी.

(ii). पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-I सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

इतिहास और भारतीय समाज (150 अंक)

i. भारतीय इतिहास – हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यक़ालीन भारत की भक्ति-सूफ़ी परम्पराएँ, विजयनगर साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण.
ii. स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन.
iii. भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता.
iv. भारत एवं मध्यप्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियों के साथ.
v. महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार.
vi. भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव.

भाग "ख"

शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान (150 अंक)

i. भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना.
ii. संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तकशक्तियों और वित्तका हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां.
iii. विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथककरण विवाद, निवारण तंत्र और संस्थानों के बीच होता है.
iv. संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे.

v. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज-सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका.

vi. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएं और इन योजना ओंका प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिये गठित तंत्र, कानून, संस्थान एवं निकाय.

vii. गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे.

प्रश्नपत्र - II सामान्य अध्ययन (300 अंक)

भाग "क"

करेंट अफ़ेयर्स (current affairs), प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा (150 अंक)

i. करेंट अफ़ेयर्स.

ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव.

iii. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बॉयो-टेक्नोलॉजी, ऑर्टिफ़िशल इंटेलिजेन्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता.

iv. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आंकलन.

v. भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय.

vi. नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, आंतरिक्ष जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनोत कनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग.

vii. परम्परागत और गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधन, नवकरणीय ऊर्जा.

viii. लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका.

ix. विकास और उग्रवाद के बीच संबंध.

x. आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्यराजकीय एवं ग़ैरराजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका.

xi. संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना.

xii. बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे.

xiii. संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध.

भाग "ख"

तर्क एवं अंकों की व्याख्या (150 अंक)

i. आधार संख्यायें और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध), प्रायिकता.
ii. आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्तता आदि). माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन.
iii. अनुपात और समानुपात, इकाई विधि.
iv. लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज.
v. क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन
vi. तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान

नोटः- नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 51 एवं 52 को विलोपित किया जाता है।

12/11/25